



कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

सिंधी कॉलोनी, जरहाभाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड-495001

फोन : 07752-227624 फैक्स : 07752-221385 E-mail : ccf.bilaspur-cg@gov.in

क्रमांक/तक/ 1796

बिलासपुर, दिनांक 05.7.23

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक

(भू-प्रबंध)

अरण्य भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

विषय:-

Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for KUSMUNDA OPEN CAST MINE (Diversion of Additional 43.942 ha. of Revenue Forest Land for Expansion of Kusmunda Open Cast Coal Mine of M/s SECL for Coal Mining in Korba District of Chhattisgarh)
Reg. No. FP/CG/MIN/41604/2019

संदर्भ:-

आपका पत्र क्र./भू-प्रबंध/खनिज/331-271/1253 रायपुर दिनांक 23.05.2023

—:0:—

विषयांतर्गत लेख है कि एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र के अंतर्गत खनन परियोजना हेतु वांछित 43.942 हे. वनभूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में वांछित जानकारी वनमंडलाधिकारी कटघोरा के पत्र क्रमांक/तक. /3775 दि. 30/06/2023 के द्वारा प्रेषित किया गया है, अतः प्रकरण अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुसंशा सहित सम्प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

पृ.क्र./तक

1797

प्रतिलिपि:

1. वनमंडलाधिकारी कटघोरा वनमण्डल कटघोरा छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. महाप्रबंधक, साउथ ईस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड, पोस्ट कुसमुण्डा कॉलरी, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।

मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर
बिलासपुर/दिनांक 05.7.23

मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर



कार्यालय वनमण्डलाधिकारी कटघोरा वनमण्डल कटघोरा, जिला - कोरबा (छ.ग.)

Phone/Fax No.: 07815-250157, mail : dfokatghora@gmail.com

क्रमांक / तक.अधि. / 2023 / 3115
प्रति,

कटघोरा, दिनांक 30.06.2023

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त,
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय- Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act.1980 Proposed for KUSMUNDA OPEN CAST MINE (Diversion of Additional 43.942 ha. of Revenue Forest land for Expansion of Kusmunda Open Cast Mine of M/s SECL for Coal Mining in Korba District of Chhattisgarh- reg.

- संदर्भ - 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नया रायपुर का पत्र क्र./भू-प्रबंध/खनिज/331-271/1253 दिनांक 23.05.2023 |
2. मुख्य महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. कुसमुण्डा क्षेत्र जिला कोरबा का पत्र क्र./SECL/GM/EMV/KA/23-24/106 date. 21.06.2023

-----000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र, जिला कोरबा वन मण्डल कटघोरा के अंतर्गत कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु अतिरिक्त 43.942 हे. राजस्व वन भूमि का प्रत्यावर्तन प्रस्ताव ऑन लाईन / ऑफ लाईन अनुशंसा प्रस्तुत किया गया था, जिसके परिक्षण उपरान्त प्रस्ताव में पांच ऑन लाईन कमियाँ तथा तीन ऑफ लाईन कमियाँ पाई गयी थी, जिसका बिन्दुवार अनुपालन कर प्रेषित किया जा रहा है :-

ऑन लाईन कमियाँ

क्र.	कमियाँ	प्रतिपालन
1.	Form A part -1 के बिंदु क्रमांक C में KML file अपलोड नहीं है पुनः के एम एल अपलोड करते समय ध्यान रखे कि KML file के attribute में विवरण (जैसे RF/PF along with compartment no. and area in ha. / Revenue Forest Land along with Khasra no. and area in ha. आदि) जानकारी के साथ अपलोड करें	Form A part -1 के बिंदु क्रमांक C में KML file को attribute के साथ आवश्यक सुधार कर अपलोड किया गया है
2.	फार्म - ए के पार्ट -2 के बिंदु क्रमांक -13 में अपलोड के.एम.एल. फाईल के एट्रीब्यूट में विवरण (जैसे RF/PF along with compartment no. and area in ha. / Revenue Forest Land along with Khasra no. and area in ha. आदि) सहित जानकारी अपलोड नहीं है सुधार कर पुनः अपलोड करें	फार्म -ए के पार्ट -2 के बिंदु क्रमांक -13 में अपलोड के.एम.एल. फाईल के एट्रीब्यूट में विवरण (जैसे RF/PF along with compartment no. and area in ha. / Revenue Forest Land along with Khasra no. and area in ha. आदि) सहित जानकारी सुधार कर पुनः अपलोड किया जा चुका है
3.	फार्म - ए के पार्ट -2 के बिंदु क्रमांक -13 (iii) अपलोड Geo-referenced map वन मण्डलाधिकारी द्वारा सत्यापित नक्शा अपलोड नहीं किया गया है सुधार कर अपलोड करें	फार्म - ए के पार्ट के बिंदु क्रमांक -13 (iii) अपलोड Geo referenced map सत्यापित नक्शा सुधार कर पुनः अपलोड किया जा चुका है
4.	फार्म - ए के पार्ट -2 के बिंदु क्रमांक 7 में दूरी 5.1 एवं प्रपत्र -3 बिंदु (vi) में दूरी 10 की. मी. से अधिक लेख किया गया है दोनों जानकारी में विसंगति है जिसे सुधार कर एकजाई जानकारी वेब पोर्टल पर अपलोड करें	फार्म - ए के पार्ट -2 के बिंदु क्रमांक 7 में दूरी 5.1 एवं प्रपत्र -3 बिंदु (vi) में दूरी 10 की. मी. से अधिक लेख किया गया है दोनों विसंगति सुधार कर पुनः अपलोड किया जा चुका है
5.	Online Form A part -II के बिंदु क्रमांक 16 (Special recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer for acceptance or otherwise of the proposal with reason)	Online Form A part -II के बिंदु क्रमांक 16 (Special recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer for acceptance or otherwise of the proposal with

निरिक्षण प्रतिवेदन भाग - 3 अपलोड किया गया है। जो सही नहीं है। सुधार कर सही निरिक्षण प्रतिवेदन अपलोड करें।	कार्यालय, बिलासपुर के द्वारा अपलोड कर दिया जायेगा
---	---

ऑफ लाईन कमियाँ

क्र.	कमियाँ	प्रतिपालन
1.	प्रस्ताव में आवेदित राजस्व वन भूमि रकबा 43.942 हे. का कलेक्टर जिला कोरबा के पत्र दिनांक 17.02.2016 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र 142.257 हे. का संलग्न किया गया है। आवेदित राजस्व वन भूमि एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र भिन्नता है। स्थिति स्पष्ट करें।	कलेक्टर जिला कोरबा के पत्र दिनांक 17.02.2016 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में आवेदित राजस्व वन भूमि रकबा 43.942 हे. के सभी रकबे के अलावा (98.315 हे. के सभी रकबे जो राजस्व वन भूमि आवेदन से पूर्व कुसमुंडा ओपन कास्ट परियोजना का हिस्सा था, वर्तमान में गेवरा ओपन कास्ट परियोजना का अंग है), इस प्रकार कुल 142.257 हे. का अनापत्ति प्रमाण पत्र कुसमुंडा ओपन कास्ट परियोजना को दिया गया था। अतः अतिरिक्त 98.315 हे राजस्व वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण गेवरा ओपन कास्ट द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।
2.	आवेदित राजस्व वन भूमि रकबा 43.942 हे. के एवज में दुगुने बिगड़े वन क्षेत्र 87.884 हे. होता है जबकि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 99.577 हे. का प्रस्ताव संलग्न किया गया है जिसमें से जो 11.693 हे. अधिक है। अतः 11.693 हे. अधिक क्षेत्र का राशि जमा करने का वचन पत्र अथवा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु रकबा 87.884 हे. का संशोधित 10 वर्षीय सिंचित वैकल्पिक वृक्षारोपण अद्यतन दर से तैयार कर संलग्न करें।	आवेदित राजस्व वनभूमि रकबा 43.942 हे. के एवज में दुगुने बिगड़े वन क्षेत्र 87.884 हे. का क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु संशोधित 10 वर्षीय सिंचित वैकल्पिक वृक्षारोपण अद्यतन दर से तैयार कर संलग्न है।
3.	व्यवस्थापन प्लान वन मण्डलाधिकारी / मुख्य वन संरक्षक / जिला कलेक्टर द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है।	कुसमुंडा ओपन कास्ट परियोजना का व्यवस्थापन प्लान, कोल इंडिया के व्यवस्थापन नीति के तहत बनाया गया है। प्रत्येक गाँव के विस्थापन के पूर्व, उस गाँव सम्बंधित व्यवस्थापन प्लान की विवेचना जिला पुर्नवास एवं पुनरस्थापना समिति, ग्रामवासियों तथा सरपंच के साथ, जिला कलेक्टर के उपस्थिति में, हुई बैठक में की जाती है, जिसमें अदिग्राहित जमीन की मुआबजा, मकानों की कीमत, जमीन के एवज में नौकरी, पुर्नवास एवं पुनरस्थापना की योजना इत्यादि की समीक्षा किये जाने के बाद, जिला कलेक्टर द्वारा अनुमोदन के उपरान्त ही व्यवस्थापन प्लान अमल में लाया जाता है। (Annexure-II रिसदी, पाली, पडनिया, सोनपुरी, जटराज, खोडरी गाँव पुर्नवास एवं पुनरस्थापना समिति द्वारा अनुशंसा एवं कलेक्टर द्वारा अनुमोदित विवरण कार्यवृत्त संलग्न है)

संलग्न : पालन प्रतिवेदन 05 प्रतियों में।

पृ.क्रमांक/तक.अधि./2023/3776
प्रतिलिपि

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. कुसमुंडा क्षेत्र जिला कोरबा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी

कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा
कटघोरा, दिनांक 30.06.2023

**मुख्य वनसंरक्षक अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)**

भाग-3

(संबंधित वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित मुख्य वनसंरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

आवेदनकर्ता, मेसर्स कुसमुण्डा ओपनकास्ट परियोजना, एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र द्वारा कटघोरा वनमण्डल में कोयला खनन परियोजना हेतु प्रस्तावित राजस्व वनभूमि रकबा 43.942 हे. का वन व्यपवर्तन प्रस्ताव वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रभावित वनभूमि का स्थल निरीक्षण दिनांक 09.05.2023 को मेरे द्वारा किया गया है।


15. क्या संबंधित मुख्य वनसंरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वनसंरक्षक के सुझावों से सहमत है।

हाँ

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित मुख्य वनसंरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

अनुशंसित

दिनांक 10/5/23


(राजेश कुमार चंदेले) भा.व.से.
मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर